लोक सेवाओं तथा पदों पर सीधी भरती

1. परिभाषएं

लोक सेवाएं तथा पद

राज्य सरकार का या तत्समय प्रवृत राज्य के किसी अधिनियम के अधीन गठित किसी स्थानीय प्राधिकरण या कानूनी प्राधिकरण का या किसी विश्वविद्यालय का या किसी ऐसी कंपनी, निगम या किसी सरकारी सोसायटी का, जिसमें समादत्त अंशपूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा धारित है या किसी संस्था का जो राज्य सरकार से सहायता अनुदान या नगद अनुदान प्राप्त कर रही है, कोई कार्यालय और उसके अन्तर्गत ऐसा स्थापन आता है जिसमें कार्यभारित या आकस्मिकता निधि से भुगतान किया जाता है, और ऐसा स्थापन जिसमें आकस्मिक नियुक्तियां की जाती है, के स्थापन के किसी कार्यालय में की सेवाएं तथा पद।

[मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम,1994 में यथापरिभाषित]

लोक सेवक

लोक सेवक में शामिल हैं –

(1) कोई व्यक्ति, जो सरकार की सेवा या उसके वेतन पर है या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रामिक पाता है।

(2) कोई व्यक्ति, जो किसी लोक प्राधिकरण की सेवा या उसके वेतन पर है।

(3) कोई व्यक्ति जो किसी केन्द्रीय, प्रान्तीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन या सरकार से सहायता प्राप्त किसी प्राधिकरण या निकाय या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी की सेवा या उसके वेतन पर है।

(4) कोई न्यायाधीश, जिसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति है जो किन्ही न्याय निर्णयन कृत्यों का, चाहे स्वयं या किसी व्यक्ति के निकाय के सदस्य के रूप में, निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है।

(5) कोई व्यक्ति, जो न्याय प्रशासन के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किया गया है, जिसके अन्तर्गत किसी ऐसे न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया, परिसमापक,रिसीवर या आयुक्त भी है।

(6) कोई मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति, जिसको कसी न्यायालय द्वारा या किसी सक्षम लोक प्राधिकरण द्वारा कोई मामला या विषय, विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया है।

(7) कोई व्यक्ति, जो किसी ऐंसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह निर्वाचक सूची तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाये रखने या पुनीरिक्षत करने अथवा निर्वाचन या निर्वाचन के भाग का संचालन करने के लिए सशक्त है।

(8) कोई व्यक्ति, जो ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर किसी लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए प्राधिकृत या अपेक्षित है।

(9) कोई व्यक्ति, जो कृषि ,उघोग , व्यापार या बैंककारी में लगी हुई किसी ऐंसी रजिस्ट्रीकृत सोसायटी का अध्यक्ष, सचिव या अन्य पदधारी है, जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम से या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन या सरकार से सहायता प्राप्त किसी प्राधिकरण या निकाय से या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है या कर चुकी है।

(10) कोई व्यक्ति जो किसी सेवा आयोग या बोर्ड का, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो अध्यक्ष, सदस्य या कर्मचारी या ऐंसे आयोग या बोर्ड की ओर से किसी परीक्षा का संचालन करने के लिए या उसके द्वारा चयन करने नियुक्त की गई किसी चयन समिति का सदस्य है।

(11) कोई व्यक्ति, जो किसी विश्वविद्यालय का कुलपति, उसके किसी शासीनिकाय का सदस्य आचार्य, उपाचार्य प्राध्यापक या कोई अन्य शिक्षक या कर्मचारी है, चाहे वह किसी भी पदाभिनाम से ज्ञात हो, और कोई व्यक्ति जिसकी सेवाओं का लाभ विश्वविद्यालय द्वारा या किसी अन्य लोक निकाय द्वारा परीक्षाओं के आयोजन या संचालन के संबंध में लिया गया है।

(12) कोई व्यक्ति जो किसी भी रीति में स्थापित किसी शैक्षिक, वैज्ञानिक, समाजिक या अन्य संस्था का, जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है या कर चुकी है, पदधारी या कर्मचारी है।

[भष्टाचार निवारण अधिनियम,1988 से उद्धरण]

राज्य की लोक सेवाओं का वर्गीकरण

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के नियम 4 के अनुसार राज्य की लोक सेवाओं का वर्गीकरण निम्नानुसार है :–

(एक) मध्यप्रदेश सिविल सेवा प्रथम श्रेणी :

(दो) मध्यप्रदेश सिविल सेवा द्वितीय श्रेणी :

(तीन) (क) मध्यप्रदेश सिविल सेवा तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) :

(ख) मध्यप्रदेश सिविल सेवा तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) :

(चार) मध्यप्रदेश सिविल सेवा चतुर्थ श्रेणी ।

नियुक्ति के लिए पात्रता –

संबंधित विभागों के भर्ती नियम के अनुसार

नियुक्ति के लिए अपात्रता –

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 6 के अनुसार नियुक्ति के लिए वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो –

(1) पुरूष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐंसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक पत्नि जीवित हो। ऐंसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐंसा करने का पर्याप्त कारण है, तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

(2) जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाये ।

(3) जिसे महिलाओं के विरूद्व किसी अपराध का सिद्व दोष ठहराया गया हो।

(4) जिसने विभाग के लिए विहित, की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो।

(5) जिसकी दो से अधिक संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हुआ है, (परन्तु निरर्हित नही होगा यदि एक संतान जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता)

भरती का तरीका

(एक) सीधी भर्ती के द्वारा (लोकसेवा आयोग के माध्यम से, कनिष्ठ सेवा मण्डल (व्यापम) रोजगार कार्यालय से नाम बुलाकर या सीधे विज्ञापन देकर,

(दो) पदौन्नति द्वारा

(तीन) किसी अन्य सेवा या अन्य पद पर पहले से ही नियोजित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा।

[म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 नियम 7]

टिप्पणी – केवल अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामले में रोजगार कार्यालय में पंजीयन संबंधी छूट प्राप्त है।

[समय–समय पर जारी शासन की नीति के अनुसार]

पद के लिए शैक्षणिक अर्हता –

(1) पद के लिए शैक्षणिक अर्हता विभागीय भर्ती नियमों के अनुसार होगी फिर भी राज्य सरकार के यह निर्देश है कि शासकीय सेवाओं में भर्ती के लिए जहां न्यूनतम अर्हता उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण निर्धारित है, वहां अव 10+2 शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण निर्धारित की जाये, किन्तु साथ ही साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवार भी पात्र रहेंगे क्योंकि उनके द्वारा उत्तीर्ण की गई परीक्षा हाईस्कूल परीक्षा से उच्चस्तर की है।

(2) अब सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–10/3/2006/1/9, दिनांक 06.02.2006 द्वारा कम्प्यूटर प्रशिक्षण भी अनिर्वाय अर्हता मान लिया गया है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सी–3–11/86/3/1, दिनांक 30.06.1986]

सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा

लोक सेवा तथा पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम तथा अधिकतम आयु सीमा संबंधित विभाग के भर्ती नियमों में विहित की गई है, किन्तु न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष से कम नहीं है। पेंशन नियमों के अनुसार भी 18 वर्ष की आयु के बाद ही भर्ती होने पर सेवा को अर्हतादायी सेवा माना जाता है। इससे कम आयु में भर्ती होने पर उसे अर्हतादायी सेवा नहीं माना जाता है और अवधि की सेवा (भर्ती दिनांक से 18 वर्ष की आयु पर पहुॅचने के मध्य की अवधि) को बाल सेवा के समान मानकर पेंशन हेतु गणना में नहीं लिया जाता है।

सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा

(i) 35 वर्ष अब स्थाई रूप से अधिकत आयु सीमा निर्धारित की गई है। यह छूट केवल मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को प्राप्त होगी। यह आयु सीमा पुलिस, आबकारी, जेल तथा वनविभाग के कार्यपालिक पदों पर नियुक्त होने वाले व्यक्तियों को लागू नहीं होगी। इसके विषय में पृथक से आदेश जारी होंगे। जिन वर्गो को पूर्व से ही अधिकतम आयु सीमा में विशेष छूट प्राप्त है, वह उन्हें लागू रहेगी। यह निर्णय 01 अप्रेल 2004 से लागू किया गया।

(1) पुरूष आवेदक (सामान्य वर्ग) – 35 वर्ष

(2) पुरूष आवेदक (आरक्षित वर्ग – अनु.जाति, अनु.ज.जाति,अन्य पिछड़ा वर्ग –40)

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सी–3–5 / 2001 / 3 / 1, दिनांक 17.08.2004]

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी–3–5 / 2001 / 3 / 1, दिनांक 05.10.2004 द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि आबकारी, वन एवं जेल विभाग के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले कार्यपालिक पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा उनके भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार रहेगी अर्थात इन पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

महिला उम्मीदवारों को आयु सीमा में विशेष छूट

(i) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिला की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के नियम 4 के अनुसार और अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की महिला उम्मीदवारों को छूट प्राप्त है।

(ii) विधवा,परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिला उम्मीदवारों के लिए 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्राप्त है। तलाकशुदा महिला को तलाक के संबंध में न्यायालय या जाति रिवाज के अनुसार प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा परित्यक्ता महिला को राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार स्तर से कम का न हो, का इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि संबंधित महिला को विवाह के पश्चात, उसके पति ने औपचारिक रूप से तलाक प्राप्त किये बिना छोड़ दिया है और उसे उसके पति से कोई गुजारा भत्ता भी प्राप्त नहीं हो रहा है।

(सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सी–3–11 / 84 / 3 / 1, दिनांक 24.04.1984 तथा क्रमांक सी–3–25 / 88 / 3 / 49, दिनांक 29.03.1989)

(iii) **इस प्रकार महिला उम्मीदवारों के लिए यह छूट निम्नानुसार होगी –**

(1) सामान्य महिला आवेदक : 35 + 10 = 45 वर्ष

(2) अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए 35 + 10 + 5 = 50 वर्ष

(3) विधवा / परित्यक्ता / तलाकशुदा महिला आवेदक : 35 + 10 + 5 = 50 वर्ष

(4) आरक्षित कोटे की महिला आवेदक :: 35 + 10 + 5 +5 = 55 वर्ष।

वर्ग विशेष उम्मीदवारों को विशेष छूट

(1) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के लिए : 05 वर्ष

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ–3–3 / 74 / 3 / 1, दिनांक 16.03.1974]

(2) अन्य पिछड़ा वर्गो के लिए : 05 वर्ष

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ–7–26 / 93 / 3 / 1, दिनांक 20.01.1994]

(3) आदिमजाति, जन जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दंपती के स्वर्ण पार्टनर को 05 वर्ष ।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सी–3–10 / 85 / 3 / 1, दिनांक 28.06.1985]

(4) विक्रय पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी के लिए : 05 वर्ष

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सी–3–18 / 85 / 3 / 1, दिनांक 03.09.1985]

(5) तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सेवा योग्य नेत्रहीन, गूंगे–बहरे तथ अपंग उम्मीदवारों के लिए : 10 वर्ष

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 550,2532 / 1(3) / 80, दिनांक 12.02.1981]

सीधी भर्ती से नियुक्त निम्न श्रेणी लिपकों को हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट

निम्न श्रेणी लिपक पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण होना एक अनिर्वाय अर्हता है। फिर भी अर्हक उम्मीदवारों के अभाव में बिना परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों को इस शर्त के साथ नियुक्त कर लिया जाता है कि वे दो वर्ष के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे। तब तक उन्हें नियमित नियुक्त नहीं माना जाता है और इस सेवा का उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। ऐसे नियुक्त कर्मचारियों को आगे निकट भवि य में परीक्षा उत्तीर्ण करने का अवसर दिया जाता है सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश क्रमांक 44/सी–3–6/91/3/1, दिनांक 16.01.1992 जारी कर यह निर्देश दिये है कि अब भवि य में समय सीमा बढ़ाए जाने के कोई आदेश जारी नहीं किए जायेगें। उक्त परीक्षा प्रतिवर्ष आयोजति होती है। कर्मचारी उसमें शामिल होकर परीक्षा उत्तीर्ण करें। यदि नहीं कर सकेगें तो वे अपने वेतनमान का न्यूनतम वेतन ही प्राप्त करते रहेंगे। उत्तीर्ण होने पर उन्हें नियमित नियुक्त मान लिया जायेगा और वेतनवृद्वि उन्हें देय हो जाएगी। इसी प्रकार सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी–2–35/84/3, दिनांक 15.11.1984 के अनुसार यदि लिपकों की आयु 40 वर्ष की हो जाए तो उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट दे दी गई है।

अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में छूट –

(i) दिवंगत शासकीय सेवक की विधवा के मामले में अधिकतम आयु की सीमा का कोई बंधन नहीं है। अन्य के मामले में अधिकतम 8 वर्ष की छूट होगी।

(ii) इसी प्रकार दिवंगत कर्मचारी की विधवा के मामले में हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा कम्प्यूटर संचालन के ज्ञान के लिए 03 तीन वर्ष का समय दिया गया है। अन्य के लिए 01 वर्ष की समय सीमा है।

विकलांग के मामले में छूट

सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 294/2411/1 (3)/74, दिनांक 18.04.1975 सहपठित ज्ञाप क्रमांक 844/2621/1 (3)/75, दिनांक 11.12.1975 के अनुसार ऐंसे विकलांग उम्मीदवार जिनके हाथ स्थाई रूप से विकृत होने के कारण मुद्रलेखन सीखने में असमर्थ हैं, केवल उन्हें ही चिकित्सा प्रमाण–पत्र के आधार पर हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा की अर्हता से छूट प्राप्त है।

परिवीक्षा

(1) जब किसी व्यक्ति को किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त किया जाए तो उसे साधारणतः ऐंसे कालावधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जावेगा, जैसी कि सेवा के भरती नियमों में विहित है।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों के आधार पर परिवीक्षाकाल की अवधि को बढ़ा सकते हैं, किन्तु 01 वर्ष से अधिक नहीं।

(3) परिवीक्षक को उसके परिवीक्षाकाल में ऐंसे प्रशिक्षण में जाना होगा तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जैसा सेवा भरती नियमों में विहित है।

(4) परिवीक्षक की सेवाएं परिवीक्षाकाल में समाप्त भी की जा सकती हैं, यदि नियुक्तिकर्ता का अधिकारी के विचार में वह उपयुक्त न पाया जाए।

(5) परिवीक्षक की सेवाएं जिसने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है या जो उस सेवा या पद के लिए अनुपयुक्त पाया जाए, परिवीक्षाकाल के अन्त में समाप्त भी की जा सकती हैं।

[म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 का नियम 8]

(6) अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्त होने वाला व्यक्ति भी दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जावेगा।

सेवा निवृत्ति आयु सीमा

(1) शैक्षणिक वर्ग की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष

(2) द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष

अस्थाई नियुक्ति

जहां किसी पद के लिए सेवा भरती नियमों में प्रथमतः परिवीक्षा में रखने की कोई शर्त विहित नहीं है वहां सीधी भरती से नियुक्त प्रथमतः केवल अस्थाई रूप से की जाती है। अस्थाई पद को समय–समय पर बढ़ाया जाता है। जबतक शासकीय सेवक अस्थाई पद पर कार्यरत रहता है, तबतक उसकी सेवा ''अस्थाई तथा अर्द्वस्थाई सेवा नियम 1960'' (Temporary and Quasi- permanent Rules,1960) से शासित होती है। इन नियमों के अनुसार एक माह का नोटिस देकर उसकी सेवाएं कभी भी समाप्त की जा सकती हैं।